न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 93/2017

1. जुगल किशोर पुत्र केदार जाति सुनार निवासी बहरावण्डा कलां, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. किशन गोपाल पुत्र केदार जाति सुनार निवासी बहरावण्डा कलां, तहसील खण्डार, हाल आबाद सवाई माधोपुर।
2. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खण्डार।

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर खण्डार मु0न0 14/2015 निर्णय दिनांक 12.06.2017 उनवानी किशन गोपाल बनाम जुगल किशोर वगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री मुकेश तेहरिया एड.
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री मो0 इमरान खान एड0

निर्णय दिनांक 09.11.2020

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 14/2015 निर्णय दिनांक 12.06.2017 उनवानी किशन गोपाल बनाम जुगल किशोर वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने आराजी खसरा नं0 223/13 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 234/13 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 236/13 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कुतलपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी बराये बदयान्ति बिना विधिवत विभाजन कराए ही उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है, इसी उद्देश्य की प्रर्ति में प्रतिवादी ने दिनांक 07.06.2015 को सुबह 12 बजे जब वादी अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो वादी से धमकी देकर कहा कि प्रतिवादी अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचेगा, तथा वादी को उक्त विवादित भूमि के वादी के हिस्से 1/2 भाग से बेदखल करके रहेगा, तो वादी ने मना किया कि विधिवत विभाजन कराकर बेच देना तो प्रतिवादी ने कहा कि मेरे हिस्से की भूमि है किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचू मेरी मर्जी है बिना विभाजन कराये ही बेचूगा, कभी भी बेच दूंगा एवं कहा कि वादी कौन होता है। प्रतिवादी से मना करने वाला, जिसका प्रतिवादी को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात में सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होने से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की विवादित भूमि को प्रतिवादी को बिना विधवित विभाजन कराए बेचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है कि वादी विरूद्ध दावा पेश कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है, इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वादपत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित हो कर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 223/13 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 234/13 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 236/13 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कुतलपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पो0 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलांट व रेस्पो0 अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो0/वादी ने वादपत्र में यह वर्णित किया कि अपीलार्थी बिना विधिवत विभाजन कराये ही उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने पर आमदा है। दिनांक 07.06.2015 की सुबह 12 बजे की कपोल कल्पित घटना बताते हुये कहा कि अपीलार्थी अपनी 1/2 भाग भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा एवं वादी को 1/2 भाग से बेदखल कर के रहेगा। अपीलांट को विक्रय करने से रोकने के लिए रेस्पो0 ने एक वादपत्र पेश किया जिसमें दिनांक 05.01.2016 को अपीलार्थी की तामील मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफी कार्यवाही करके आदेश पारित कर दिया, अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में ना तो कोई डिक्री पारित की और ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत रिकोर्ड पर ली गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की है जिस पर वह अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना साक्ष्य सबूत के कानून की परवाह किये बिना अपनी सनमर्जी से दावा डिक्री कर अपीलार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय को एक संयुक्त खातेदारी में नामजद खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का इस आधार पर अधिकार नहीं है कि वह अपने अधिकार की जमीन को बेच सकता है जब वह तकासमा करवाले अधिनस्थ न्यायालय ने एक संयुक्त खातेदार को गलत प्रकार से पाबन्द कर अहम भूल की है। दिनांक 12.06.2017 को अक्षयगढ में कैम्प के संबंध में भी अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी। दिनांक 04.10.2017 को अपने स्वामित्य एवं अधिकार की जमीन को बेचने के लिए बातचीत की तो पता लगा कि दिनांक 12.06.2017 को अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के संवैधानिक अधिकार पर अवैध रूप से रोक लगा रखी है जिसका पता लगते ही अपीलार्थी ने दिनांक 05.10.2017 को नकल प्राप्त की तब सर्व प्रथम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का अपीलार्थी को पता चला इस लिए जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की है। देरिना कंडोन फरमायी जाकर अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नं0 223/13 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 234/13 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 236/13 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कुतलपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त आराजी रेस्पो0 एवं अपीलांट की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर रेस्पो0 व अपीलांट अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट बराये बदयान्ति बिना विधिवत विभाजन कराए ही उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है, इसी उद्देश्य की प्रर्ति में अपीलांट ने दिनांक 07.06.2015 को सुबह 12 बजे जब वादी अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो रेस्पो0 से धमकी देकर कहा कि अपीलांट अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचेगा, तथा वादी को उक्त विवादित भूमि के वादी के हिस्से 1/2 भाग से बेदखल करके रहेगा, तो रेस्पो0 ने मना किया कि विधिवत विभाजन कराकर बेच देना तो प्रतिवादी ने कहा कि मेरे हिस्से की भूमि है किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचू मेरी मर्जी है। मैं तो बिना विभाजन करा ये ही बेचूगा, कभी भी बेच दूंगा एवं कहा कि रेस्पो0 कौन होता है, अपीलांट से मना करने वाला जिसका अपीलांट को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा रेस्पो0 के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात में सह खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होने से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की विवादित भूमि को प्रतिवादी को बिना विधवित विभाजन कराए बेचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधि सम्मत किया है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषको द्वारा ब[illegible] पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कि[illegible] अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम [illegible] न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 [illegible] ग्राम कुतलपुर तहसील खण्डार के खाता सं0 नया 15 के अनुसार खसरा संख्या 223/13 व 234/13 पर किशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गोपाल, जुगल किशोर पि0 केदार जाति सुनार अंकित है। नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 ग्राम कुतलपुर तहसील खण्डार में खाता सं0 नया 14 पर खसरा सं0 236/13 किशन गोपाल, जुगल किशोर पि0 केदार के नाम अभिलिखित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यार्थी सं0 1 सह काश्तकार दर्ज है। सहकाश्तकारी की आराजी पर जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता है, प्रत्येक इंच भाग पर प्रत्येक खातेदार का भाग होता है, बिना विभाजन करवाये किसी अन्य को बेचान नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, खण्डार के मु0नं0 14/2015 निर्णय दिनांक 12.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.11.20

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner